

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीव गाँधी अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.92 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....V
2. हरियाली का घनत्व.....0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....₹ 45,000/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....1.92 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....₹ 16,22,400/-

MS
(महेश रामा)
उ० र०

SM
(सरदार सिंह)
क० र०

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

अधिशायी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाणित वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

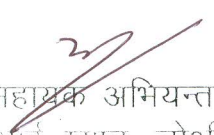
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीव गाँधी अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.92 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
ऋषिकेश


अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
ऋषिकेश